(वाद संख्या–6472/18)

19.03.2021

परिवादी, राम नरेश गुप्ता अनुपस्थित है।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राम नरेश गुप्ता, व उनके पड़ोसी, राधा देवी की जमीन पर उनके एक अन्य पड़ोसी, कन्हैया लाल पासवान, के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराने तथा उक्त कन्हैया लाल पासवान द्वारा अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का दुरूपयोग करते हुए संस्थित आपराधिक मामले से मुक्त कराने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, अररिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्निनत अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘आवेदक राम नरेश गुप्ता व रामश्रेष्ठ प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, सा0–रामपुर उत्तर, कुबेर टोला, मौजा–रामपुर, थाना–142, खाता–1859, खेसरा–1890, रकवा–0.01. 900 का जमीन मापी निर्धारित तिथि 16.01.2021 को स्थल पर पहुँचा, स्थल पर उपस्थित वादी, प्रतिवादी एवं गणमान्य ग्रामीण भी उपस्थित थे। सभी के समक्ष वादी प्रतिवादी से जमीन संबंधित कागजात की मांग किया गया। प्रतिवादी कन्हैया पासवान, पिता–स्व0 जागेश्वर पासवान एवं प्रभु भगत, पिता–स्व0 महन्थ लाल भगत एवं वादी के द्वारा केवाला दिखाया गया। कागजात के अवलोकन के पश्चात् पाया गया कि मूल केवाला कुशमी देव, पति–जागेश्वर पासवान के नाम केवाला के द्वारा जमीन खरीद किया गया है, जिसका (1) दलील नं0–2276, दिनांक–03. 04.1965 है। इन्हीं दलील से तौलाराम अग्रवाल, मीरा देवी एवं अन्य व्यक्तियों की खरीद है तथा मीरा देवी से राधा देवी, पति–सुकदेव पासवान को दलील नं09354, दिनांक 01.12.1980ई0 को खाता–1859 , खेसरा–1890, रकवा–0.18 धुर जमीन खरीद किए हैं। आवेदक, राम नरेश गुप्ता व रामश्रेष्ठ गुप्ता, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता के द्वारा जमीन मापी कार्य हेतु आवदेन दिया गया है। जबकि राधा देवी,

पति–सुकदेव पासवान या उनका कोई पारिवारिक सदस्य मापी स्थल पर नहीं था। तत्पश्चात् उपस्थित सभी लोगों के समक्ष सर्वे नक्शा से जमीन मापी प्रारंभ किया। मापी के क्रम में पाया कि उक्त खेसरा–1890 सम्पूर्ण रकवा खरीद कर सभी खरीददार अपना–अपना दखल–कब्जा के अनुसार घर दरबाजा बनाकर रह रहा है। राधा देवी, पति–सुकदेव पासवान खेसरा–1890 में दखल कब्जा नहीं है तथा उपस्थित ग्रामीण प्रतिवादी एवं वादी से पुछने पर सभी के द्वारा बताया गया कि राधा देवी, पति–सुकदेव पासवान दिल्ली में रहती है। इससे यह प्रतीत हेाता है कि बिना दखल–कब्जा का ही इन्होंने जमीन खरीद लिया है तथा आवेदक, राम नरेश गुप्ता व रामश्रेष्ठ प्रसाद गुप्ता, पिता–स्व0 लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता अपना जमीन छोड़कर राधा देवी का जमीन मापी कराना चाहता है, जो उचित नहीं हैं।''

परिवादी को राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन परिवादी आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही परिवादी की ओर से अपनी अनुपस्थिति का कोई कारण ही दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को प्रसंगाधीन मामले में अब कोई दिलचस्पी शेष नहीं रह गयी है।

अब, जबकि परिवादी नोटिस के बावजूद भी राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामला को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, अररिया के प्रतिवेदन (पृ0–23–15/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>